

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर, (कोटपूतली-बहरोड)
जिला - कोटपूतली-बहरोड
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /24638002500
दिनांक: 11-11-2024
आवेदक / परिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या 4750322127

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

01 श्री संजय गुर्जर पुत्र/पुत्री श्री दाताराम रूद , माता का नाम - श्रीमती सुनिता देवी, राजस्थान राज्य के जिला कोटपूतली-बहरोड पता- सेवरा, लेवडी, विराटनगर, कोटपूतली-बहरोड के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।

02 उक्त श्री संजय गुर्जर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकांशिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एड पी./एस.जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 20 GURJAR (20 गुर्जर) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।

03 उक्त श्री संजय गुर्जर आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के क्रिमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प. 7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार क्रिमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू.ई.डी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।

2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।

3 : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आदेश पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।

5 : प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra-rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टॉकन संख्या : 240856674964

*राज्य के पिछड़े वर्ग के लिये राजस्थान सरकार के अधिनियमों में निम्नलिखित और संबंधित कानून की शैक्षिक संस्थानों में सीटों में आरक्षण के प्रवर्जनार्थ।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर,
(कोटपूतली-बहरोड)

Signat

Digitally signed by Mann
Date: 24.11.2024 14:41:05
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan
EMJPPL 02704320

